राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(45) ग्राविवि / ग्रुप–5 / पीएमएवाई–जी / एम– I / बैठक / 2017–18 जयपुर, दिनांक 28 जुलाई 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, (ग्रा.वि.प्र)
समस्त, राजस्थान।

विषय :– माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधयक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 15.06.2017 के निर्देशों / निर्णयों के क्रम में।

महोदय,

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधयक्षता में इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में दिनांक 15.06.2017 को विभाग की योजनाओं की समीक्षा में दिये गये निर्देशों की पालना में की गई कार्यवाही विभाग को भिजवाने का श्रम करावें। उक्त बैठक में दिये गये निर्देश / निर्णय के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तर से अपेक्षित है:–

1 प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत एक ही मोहल्लें / स्थान पर बन रहे / स्वीकृत आवासों को चिन्हित कर महात्मा गांधी नरेगा योजना से वरीयता से सीसी रोड खंरजा आदि स्वीकृत कर निर्माण कराने हेतु दिये गये निर्देशों की पालना में की गई कार्यवाही निर्धारित प्रपत्र मे मासिक आधार पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें (पत्र दिनांक 16.06.2017)।

2 प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थियों कों दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से विद्युत कनेक्शन एवं उज्जवला योजना से रसोई एजपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने की प्रगति भी मासिक आधार पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

3 प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रगति एवं सफलता की कहानियों की पुस्तिका तैयार करने के निर्देशों की पालना में तैयार कराई गई पुस्तिका की हार्ड व सॉफ्ट कापी विभाग को भिजवायें।

4 प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के पात्रता धारी भूमिहीन लाभार्थियों को पट्टा अभियान में पट्टे दिलवाये जाने के निर्देशों की पालना में जारी किये गये पट्टों की सूचना एवं अवशेष रहे लाभार्थियों को पंचायती राज विभाग के आदेश दिनांक 24.07.2017 की अनुपालना में आयोजित फालो–अप शिविर में पट्टें वितरित किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियंता,ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आंयुक्त पंचायती राज विभाग।
6. जिला प्रभारी, मुख्यालय समस्त को भेजकर लेख है कि जिलें में भ्रमण के दौरान उक्त की अनुपालना की समीक्षा की जावें।
7. परियोजना निदे. एवं उपसचिव, एसएपी / मो.एवं.मू ग्राविवि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
8. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(44) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/विविध/2017–18 जयपुर, दिनांक 16 जून, 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत लाभार्थियों को देय अनुदान के अतिरिक्त अन्य योजनाओं से देय लाभ के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण वर्ष 2016–17 से इंदिरा आवास योजना को सुदृढीकृत कर प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 2.5 लाख आवास स्वीकृत किये गये है। इन आवासों को योजना के दिशा–निर्देशानुसार माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण करवाया जाना है। योजना के दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार पात्र लाभार्थियों को अन्य विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं यथा उज्ज्वला योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से विद्युत कनेक्शन, एनआरडीडब्ल्यूपी से स्वच्छ पेयजल, महात्मा गांधी नरेगा योजना से व्यक्तिगत लाभ एवं केटल शेड कार्य आदि के साथ–साथ 10 या 10 से अधिक क्लस्टर में स्वीकृत आवासों हेतु मूलभूत सुविधाएं यथा एपरोच सडक, नाली, बायो फेंसिग, मकाल स्थलों के विकास, मकानों तक सीढियां, मृदा संरक्षण एवं सुरक्षा कार्य जैसे सामुहिक/वैयक्तिक सुविधाओं का विकास आदि का प्रावधान है। माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि द्वारा विभागीय बजट अनुदान मांगों के दौरान विधानसभा में 10 या 10 से अधिक क्लस्टर में स्वीकृत आवासों हेतु प्राथमिकता से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणाएं की गई।

उक्त सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि की अध्यक्षता में दि. 15.06.2017 को आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों को अन्य योजनाओं से देय लाभों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें :–

1. जिले में ऐसे ग्रामों को चिन्हित करें, जिनमें 10 या 10 से अधिक आवास एक ही मौहल्ले/स्थान पर बने हो, ऐसे स्थानों क्लस्टर में विभागीय योजनाएं/ महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मूलभूल सुविधाएं यथा सी.सी. रोड, खरंजा, नाली आदि वरीयता से स्वीकृत कर निर्माण कराये।
2. पंचायत समितिवार बिन्दु संख्या–1 के संबंध में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से विद्युत कनेक्शन हेतु प्रस्ताव तैयार कर संबंधित विभाग को प्रेषित कर सुविधाएं उपलब्ध करावें।
3. पूर्व में स्वीकृत आवासों की योजनावार समीक्षा कर माह दिसम्बर तक पूर्ण कराने की कार्ययोजना व विभागीय पत्र दिनांक 13.02.2017 निर्देशानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत प्रगतिरत आवासों को ग्राम पंचायत के माध्यम से पूर्ण कराया जावें।
4. स्वीकृत सभी आवासों को महात्मा गांधी नरेगा योजना से मस्टररोल जारी कराया जाना सुनिश्चित कराना।
5. योजना के सभी लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एल.पी.जी. गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना।

6. आवास योजनाओं की प्रगति एवं सफलता की कहानियों की पुस्तिका तैयार कर मुद्रित कराना।
7. जिला प्रभारी अधिकारियों को जिले के भ्रमण के दौरान कम से कम एक पंचायत समिति में प्रधान/विकास अधिकारी के साथ योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ आवास एवं स्मार्ट विलेज की समीक्षा करें।
8. पट्टा वितरण अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत भूमिहीन पात्र परिवारों को प्राथमिकता से पट्टे आवंटित करायें।

उक्त सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 22.06.2017 में माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रगति की समीक्षा प्रस्तावित है। अतः उक्तानुसार कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्रों में सूचना तैयार कर दिनांक 21.06.2017 सांय तक ई-मेल (pdengg_rdd@yahoo.com) द्वारा मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : प्रपत्र-1 व 2

भवदीय,

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एव परावि, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत्।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

जिला.. **प्रपत्र–1**

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	PMAY-G में स्वीकृत/प्रगतिरत आवास	10 या 10 से अधिक आवासों का क्लस्टरों की संख्या	क्लस्टरवार स्वीकृत सुविधाओं का विवरण						क्लस्टर एवं ग्राम पंचायत का विवरण	स्मार्ट विलेज की सूचना पृथक से संलग्न करें।
				सडक/खरंजा/नाली निर्माण मनरेगा/अन्य योजनाओं से स्वीकृत राशि	मनरेगा से व्यक्तिगत लाभ के स्वीकृत कार्य	मनरेगा से केटलशेड की संख्या	NRDWP से पेयजल सुविधा की संख्या	उज्जवला योजना से जारी गैस कनेक्शनों की संख्या	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से जारी विद्युत कनेक्शनों की संख्या		

जिला.. **प्रपत्र–2**

क्र. सं.	पंचायत समिति	विभागीय पत्र दिनांक 13.02.2017 के क्रम में CMBPL आवास ग्राम पंचायत के माध्यम से पूर्ण कराने की प्रगति		शेष अपूर्ण/बन्द CMBPL आवास	विशेष विवरण
		पूर्ण	प्रगतिरत		
					मनरेगा के दिशानिर्देशानुसार आवास पूर्ण कराने हेतु द्वितीय एवं तृतीय किश्त जारी नहीं आवासों में प्रगति अनुसार 38 से 90 मानव दिवस एवं तृतीय किश्त जारी नहीं आवास हेतु 38 मानव दिवस तक अनुमत है।